खण्ड-293, अंक-9
बुधवार, 22 पौष, शक संवत् 1893
(12 जनवरी, 1972 ई0)

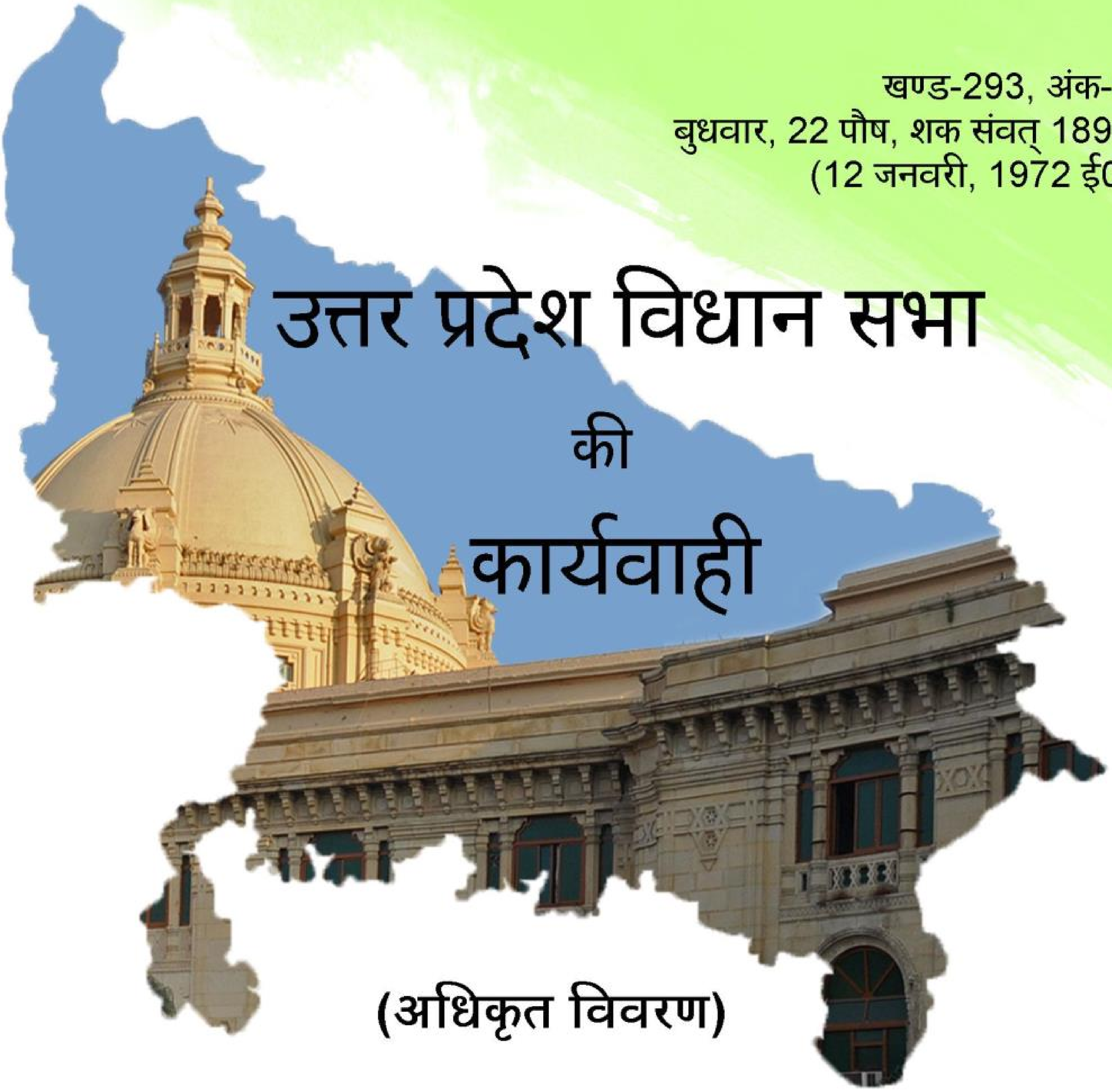

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1231–1234
प्रश्नोत्तर	1235–1261
विधान सभा सदस्य, श्री गुप्तार सिंह, के निधन पर शोकोद्गार	1262–1267
नतिथयां	1268–1281

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 12 जनवरी, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—359

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ला, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलतू खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेंद्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकांत अवस्थी, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री

गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेंद्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी०पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दलसिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
मराहम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महीरज ध्वजसिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेंद्र दत्त दुबे, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द्र, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला, इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री

राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़,—रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़—फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेंद्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 12 जनवरी, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कुमार ब्रादर्स तिलहर, शाहजहांपुर के विरुद्ध भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत तफतीश

**1—श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर) तथा श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के तहसीलदार ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1971 को एक दूकान पर बैठ कर वहीं रक्षा कोष उगाहना शुरू किया और दिनांक 23 दिसम्बर, 1971 को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा मिथलेस कुमार अग्रवाल की दूकान चेक कराई और उनके विरुद्ध रक्षा कानून कायम कर दिया ? यदि हां, तो इस घटना का विवरण क्या है तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि दिनांक 22 दिसम्बर, 1971 को इस दलाल की दूकान पर बैठकर तहसीलदार महोदय ने उन्हीं के कहे अनुसार चन्दा वसूल किया ? वह तहसील के दलाल महोदय स्वयं चीनी एवं मिट्टी के तेल के कोटेदार हैं और सन् 1965 में भारतीय रक्षा कानून में सजा भी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार परगनाधिकारी, तिलहर अथवा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त सारी घटना की जांच करायेंगी जिससे रक्षा कानून का पार्टीबन्दी के आधार पर इस्तेमाल न हो और जनता का मनोबल और राष्ट्रीय एकता बनी रहे ?

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार तहसीलदार, तिलहर जिला शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 22-12-71 को तिलहर कस्बे में किसी भी दुकान पर बैठकर सुरक्षा कोष के लिये धन एकत्रित नहीं किया गया। परन्तु यह सत्य है कि कुछ शिकायतों के कारण दिनांक 23-12-71 को तहसीलदार, तिलहर व जिला पूर्ति अधिकारी, शाहजहांपुर ने श्री मिथिलेश कुमार की दुकान, कुमारब्रादर्स, तिलहर का निरीक्षण किया और उनके विरुद्ध भारत सुरक्षा नियम के नियम 114 के अन्तर्गत जारी किये गये उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (मूल्य प्रदर्शन और संभरण तथा वितरण पर नियंत्रण) आदेश, 1971 के प्राविधानों के उल्लंघन करने के फलस्वरूप एक मुकदमा थाना तिलहर में दर्ज किया गया। जिसकी तफतीश अभी जारी है।

इस मामले में सरकार किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझती।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर दिया गया है वह सत्य से परे है। 22 तारीख को वह दुकान पर बैठे थे। अगर ऐसा न हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और इस दलाल को 1965 में भारतीय रक्षा कानून के अन्तर्गत सजा भी हो चुकी है। अब मैं प्रश्न पूछूंगा। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला पूर्ति अधिकारी ने दूकान का चालान किया या तहसीलदार महोदय ने दूकान का चालान किया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, यह बात सच नहीं है कि तहसीलदार साहब उस व्यक्ति विशेष की दुकान पर बैठे थे । लेकिन यह सत्य है कि एक दूकानदार का चालान किया गया और वह लिखित शिकायत पर चालान किया गया । 3 व्यक्तियों ने लिखित रूप से शिकायत की और कुछ लोगों ने मौखिक शिकायत की । जांच के बाद जब सही पाया गया तब चालान किया गया डी0 आई0 आर0 में ।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

मान्यवर, यह बताया जाय कि ये कौन व्यक्ति थे ? क्या यह तहसील के चपरासी या लेखपाल नहीं थे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, इन लोगों के नाम हैं सर्वश्री हरिशंकर, बालक राम और जगदीश चन्द्र । यह तीन व्यक्ति थे ।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

ये क्या हैं ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

श्री बालक राम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं । अन्य दो सरकारी कर्मचारी हैं, चपरासी ।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

बालक राम कौन हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

श्री बालक राम एक नागरिक हो सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इस प्रश्न का द्वितीय भाग जिसमें कहा गया है कि क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि दिनांक 22 दिसम्बर, 1971 को इस दलाल की दूकान पर बैठकर तहसीलदार महोदय ने उन्हीं के कहे अनुसार चन्दा वसूल किया ? वह तहसील के दलाल महोदय स्वयं चीनी एवम् मिट्टी के तेल के कोटेदार हैं और सन् 1965 में भारतीय रक्षा कानून में सजा भी हो चुकी है ? इसका उत्तर नहीं दिया गया । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह कोटेदार हैं और सन् 1965 में उनको सजा हो चुकी हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर सन् 1965 में सुरक्षा कानून के अन्तर्गत उनको सजा नहीं हुई तथा तहसीलदार ने स्वयं धन वसूल नहीं किया । मान्यवर, नायब तहसीलदार, श्री दलबीर सिंह बाजार में घूमकर चन्दा एकत्र कर रहे थे और तहसीलदार साहब वहां किसी दूकान पर बैठे भी नहीं थे । हां, यह सच है कि म्युनिसिपल बोर्ड के टैक्स सुपरिंटेंडेन्ट वहां बाजार में घूमकर उनकी प्रगति देख रहे थे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है । हमारे पास सारे प्रदेश से शिकायत आ रही है कि सरकारी अधिकारी जबरदस्ती कर रहे हैं और चालान की धमकी देते हैं । मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं ।

दूसरी बात मेरे इस प्रश्न के संबंध में यह है कि इस आरोप में कितनी गम्भीरता है और सत्यता है वह इससे ही आंकी जा सकती है कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर गलत हो तो वह इस्तीफा देने को तैयार हैं। अतः यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इनवोल्ड है। तो क्या मुख्य मंत्री जी इस पर राजी होंगे कि इतने गम्भीर आरोप की स्थानीय अधिकारी जांच न करे और कोई उच्च अधिकारी या सी0आई0 डी0 द्वारा जांच करायें तो इसका महत्व सामने आ जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

जबरदस्ती चन्दा वसूल करने की जो सूचनायें आपके पास आयी हैं तो आप उन्हें मेरे पास भेज दें। आप तो वैसे भी मेरे पास सूचनायें भेजते रहते हैं। अतः इन सूचनाओं की भी जांच कराऊंगा। बावजूद सरकारी आदेश के जिन लोगों ने जबरदस्ती चन्दा वसूल किया है उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया है उसकी गम्भीरता को देखते हुये...

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपके पास जो सूचनायें आई हैं आप उनको मेरे पास भेज दें कृपा करके तो मैं जांच करा लूंगा। बावजूद इस आदेश के कि चन्दा किसी तरह से जबरदस्ती न वसूल किया जाय अगर कहीं ऐसी कार्यवाही हुई है तो मैं ऐसा करने वाले के विरुद्ध उचित कार्यवाही करूंगा। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है आप कोई अन्य सूचना दें तो मैं जांच करा लूंगा। अभी तक तो जो प्राप्त सूचना हमको मिली है वह सदन के सामने रख दी गई है जिसमें कहा गया है कि जबरदस्ती चन्दा वसूल नहीं किया गया है और चालान जो हुआ है वह दूसरे कायदे और कानून में हुआ है क्योंकि उनके खिलाफ कुछ शिकायतें आई थीं सामान आदि बेंचने की। अगर आप समझते हैं कि चालान किसी और वजह से किया गया है तो....

श्री चरण सिंह (जिला मेरट)—

मान्यवर, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी उचित भाषण दे रहे हैं तो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और दूसरे दोस्तों को इस प्रकार खड़े रहना नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां। मैं अपनी गलती को महसूस करता हूं लेकिन चूंकि मुख्य मंत्री जी जवाब में साइड ट्रैक कर रहे हैं इसलिये ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, इसलिये कि इस विषय को महत्ता दी जाय। विरोधी दल के नेता को भी इसीलिये खड़ा होना पड़ा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ तो आपने कहा कि साइड ट्रैक किया जा रहा है। मैं साइड ट्रैक नहीं कर रहा हूं। दो बातें आपने कही हैं। एक तो यह कि बहुत सी जगह से आपके पास शिकायतें आई हैं तो मुझको अगर उनका उल्लेख मिल जाय तो मैं कार्यवाही करूं। दूसरी बात यह कही कि इन बातों की जांच करा ली जाय इसलिये कि उनका चालान किया गया है उसकी जांच सी0 आई0 डी0 या किसी उच्च अधिकारी से करा ली जाय। आपने यह कहा। अगर आप यह ठीक से जानते हैं और स्तीफा देने को तैयार हैं तो मैं उसकी जांच अवश्य करा लूंगा क्योंकि एक नयी बात आपने कही है कि चालान इसी काम के लिये किया गया है। जो सूचना हमको प्राप्त हुई है वह

निवेदन कर दी । वह कहते हैं कि आपकी सूचना गलत है और इस्तीफा देने को तैयार हैं तो मैं अवश्य ही किसी उच्च अधिकारी से और यदि आवश्यक हुआ तो सी०आई०डी० से जांच करा लूंगा ।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक साधारण सी बात के लिये यह कहा कि वे इस्तीफा दे देंगे । तो इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन में तो उन्हें रोज ही इस्तीफा देना पड़ेगा । सवाल यह है कि यह एक मामूली सी बात नहीं है जो माधव प्रसाद जी ने उठाई बल्कि यह मालूम हुआ है कि हर जिले में कलेक्टर को कोटा मुकर्रर हुआ है, हर डिपार्टमेंट का और हर अफसर का और ऐसा है कि यदि वह कोटा वसूल नहीं होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने नीचे के अधिकारियों से आंख बदल कर बात करता है कि तुमने क्या किया । फलां-फलां जगह से इतना इतना रुपया लाओ । तो यह बात है कि उन पर इसके लिये दबाव पड़ता है । मा० मुख्य मंत्री जी पर भी राजनैतिक दबाव पड़ता है कि वह ट्रांसफर करें या नहीं । तो इस प्रकार का दबाव कर्मचारियों पर, जिला अधिकारियों और डिपार्टमेंटल हेड्स पर पड़ता है तो फिर इन सब का दबाव जिले में जनता पर भी पड़ता है।

इसके लिये जिलों में आदेश हैं । सारे मसले को देखते हुये मुख्य मंत्री जी को और सारी गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिये । अब वातावरण लड़ाई का नहीं रह गया है । जब कि लोग अपनी जानें तक देने के लिये तैयार हैं तो इसको भी तबियत से या ना-तबियत दे देंगे ही । फिर यह होगा कि फलां जिले से या कमिश्नरी से कितना रुपया वसूल हुआ है । फिर यह होगा कि मेरठ में से इतना आया और गोरखपुर उससे पीछे नहीं रहेगा बल्कि आगे निकल जायगा । इसी कारण से वहां के अधिकारी भी इसमें होड़ लगाने लगते हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह प्रश्नोत्तर का समय है । माननीय सुरेंद्र विक्रम जी ने कहा कि उनसे जबरदस्ती चन्दा वसूल करने के लिए दबाव डाला गया और सरकारी कर्मचारियों ने चन्दा वसूल करवाने में मदद दी । मान्यवर, मैं भी विरोधी दल में बैठता रहा हूं और मैंने माननीय चौधरी साहब को इस ढंग से नहीं टोका ।

(हंसी)

अवसर तो मैं कभी नहीं देता हूं । मैं मधुर भाषी हूं । जब कभी वह डांट दिया करते थे मैं चुप हो जाता था । मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यदि सदस्यों की यही मंशा है तो मैं किसी बड़े अधिकारी से इसकी जांच करवा लूंगा । जहां तक कि चन्दा वसूल करने की बात है, माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि चन्दा वसूल करने की शिकायतें आई हैं । उस प्रश्न के ऊपर मैंने उनसे भी कहा था कि वे उनको कृपया मेरे पास भेज दें, पर्टीकुलर या स्पेसिफिक सूचना मेरे पास भेज दें और मैं तत्काल ही उसकी जांच करवा लूंगा । कहीं कोई कोटा वगैरह नहीं बांधा गया है । जिलों ने ही खुद तय किया है कि हम 5 लाख देंगे या 10 लाख देंगे । आदेश यह रहे हैं कि कहीं भी कोई वसूलयाबी जबरदस्ती न की जाये । अगर दो चार केसेज इस तरह के आ जाते हैं तो उनको आप अगर भेज देंगे तो जांच अवश्य करवा ली जायेगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

भट्ठा समिति ने यह प्रस्ताव किया हमारे यहां गोंडा में कि हम इतना रुपया देंगे सुरक्षा कोष में । उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सभी को बुलाया और जो प्रस्ताव किया था उसकी दूनी रकम कर दी है । आप इसकी जांच करवा लें ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मिथलेश कुमार से कितना चन्दा वसूल किया गया ?

श्री राम कृष्ण दिवेदी—

नायब तहसीलदार चन्दा वसूल कर रहा था । जो जितना चाहता था वह उतना दे देता था ।

चालान इसलिये किया गया कि वह बिना रसीद के बेच रहा था और बिना नई टार्च खरीदे हुए अलग से सेल नहीं देता था । उसने सूची भी नहीं टांगी जिसमें प्राइस दी होती हैं । इसी कारण से इसका चालान किया गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चन्दा किस से कितना वसूल किया गया यह तो बिल्कुल ही दूसरा प्रश्न है । अगर आप दूसरा प्रश्न कर देंगे तो इसको भी बता देंगे । इसी तरह से मिथलेश कुमार से कितना वसूल किया गया चन्दे के रूप में वह भी अभी तो नहीं, बताया जा सकता है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

दो सरकारी आदमी और एक पब्लिक के आदमी को रख कर यह किया गया और चालान किया गया । उस दिन कितना चन्दा वसूल किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने पहले ही कहा है कि इसकी जांच करवा लूंगा ।

तारांकित प्रश्न

सहायक अभियन्ता के विरुद्ध उरई प्रखंड से भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की कथित शिकायतें

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक अनुभाग, सी० डी० डी० के किसी एक सहायक अभियंता के विरुद्ध उरई प्रखंड से संबंधित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी अनेक शिकायतें शासन को हाल में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)—

जी नहीं, हाल में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सहायक अभियंता वर्ष, 1971 में बिना किसी प्रकार की छुट्टी के अनुपस्थित रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम लखन—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि हाल में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इससे पहले कोई शिकायत इनके विरुद्ध मिली है ?

श्री उपाध्यक्ष--

हाल के ही बारे में तो आपने सवाल पूछा है। पहले के बारे मे मैं अनुमति नहीं देता।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने "हाल" की अवधि क्या समझी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

हाल का उतना ही अर्थ निकलता है जितना कि प्रश्नकर्ता का मतलब है।

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी ने "हाल" शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं जानना चाहता हूं "हाल" शब्द से मंत्री जी क्या अर्थ लगाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नकर्ता ने ही अपने प्रश्न में "हाल" शब्द का प्रयोग किया है।

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी बता दें कि वह "हाल" शब्द का क्या अर्थ लगाते हैं ?

श्री राम लखन--

जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय आपने संकेत किया, "हाल" का मैं वही अर्थ समझा जो 'रीसेंटली' का होता है, और उसी का मैंने उत्तर दे दिया।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके खिलाफ और भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं है।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी ने पहले "हाल" में कहा और फिर "रीसेंटली" कहा, तो इससे उनका मतलब कितने दिनों से है?

श्री उपाध्यक्ष--

"हाल" को ही अंग्रेजी में "रीसेंटली" कहते हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सहायक अभियंता 1971 के पूर्व बिना किसी छुट्टी के अनुपस्थित रहे हैं ?

श्री राम लखन--

जी नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, अभी जो पहले सवाल हुआ चन्दा वसूली के बारे में । मैं उसमें कहना चाहता था तब तक आप आगे बढ़ गये। मेरी प्रार्थना है कि उसमें चर्चा होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके लिये आप अलग से लिखकर दें ।

जिला एटा में लगाये गये नलकूप

*3--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में वर्ष 1968-69 व 1969-70 व 1970-71 में कितने राजकीय नलकूप किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने, किस-किस ग्राम में लगाये गये और वर्ष 1971-72 में किस-किस विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम में राजकीय नलकूप लगाने की सरकार की योजना है और यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री राम लखन--

जिला एटा में वर्ष के 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में कुल 67 राजकीय नलकूप लगाये गये थे इनका विधान सभा क्षेत्र वार तथा ग्रामवार विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

वर्ष 1971-72 में जिला एटा के लिये 25 राजकीय नलकूपों का आवंटन किया गया है । इनके लगाये जाने के स्थान का क्षेत्रवार तथा ग्रामवार विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है । इनमें से 24 नलकूपों की बोरिंग की जा चुकी है । शेष एक नलकूप की भी बोरिंग इस वर्ष (1971-72) में हो जाने की आशा है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1268 पर)

श्री नेतराम सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में 25 नलकूप की जो योजना है, उसमें से कासगंज में केवल दो ही क्यों दिये गये जबकि वहां आबपाशी का क्षेत्र काफी है ?

श्री राम लखन--

जिले में कहां-कहां नलकूप लगें इसका चयन जिले की सिंचाई समिति के द्वारा होता है । सरकार से उसका निर्धारण नहीं होता।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस सिंचाई समिति का वह जिक्र कर रहे हैं, क्या अब वह भंग हो गयी है ?

श्री राम लखन--

इस समय तो भंग हो गई हैं, लेकिन शीघ्र ही वे बनने जा रही हैं ।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में जो नलकूप लगाये जाते हैं वे बिना किसी सर्वेक्षण के लगाये जात हैं और क्या वे एक कमेटी का निर्माण करेंग जिसमें पब्लिक

के नुमाइन्दे हों और सिंचाई अधिकारी भी हों जो सर्वेक्षण के नलकूपों को लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम लखन---

मैंने निवेदन किया है कि जिले में नलकूप कहां-कहां लगें उसके लिए सुझाव सिंचाई समिति देती है और उसी के अनुसार विभागीय अधिकारी सर्वेक्षण करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

सिंचाई समिति भंग हो गई है, यह आपने-अपने जवाब में कहा । क्या आप एक ऐसी कमेटी के गठन की व्यवस्था करेंगे जिसमें जन प्रतिनिधियों के रहने की व्यवस्था भी हो ?

श्री राम लखन--

सर्वेक्षण का काम तो टेक्निकल आदमी ही करेंगे, गैर सरकारी सदस्य यह नहीं कर सकेंगे कि नलकूप कहां लगें और कहां न लगें ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

जो नलकूप लगाये जा रहे हैं उनका सिंचाई क्षेत्रफल कितना होगा ?

श्री राम लखन---

300 से 500 एकड़ तक चल रहा है ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

जिस कमेटी को भंग कर दिया है और उसके पुनर्गठन पर सरकार विचार कर रही है, क्या उसमें मेम्बरों को रखने पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

उत्तर दे दिया है सर्वेक्षण का काम विशेषज्ञों द्वारा होगा ।

श्री नेतराम सिंह---

सन् 1971-72 में मैंसूरा बुजुर्ग में ट्यूबवैल लगाया गया है । मेरी सूचना यह है कि वहां पर 11 ट्यूबवैल्स प्राइवेट हैं और इस ट्जबवैल के लिये कोई एरिया नहीं है । वह ट्यूबवैल गलत लगा दिया गया है । क्या यह जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री राम लखन---

इसकी जानकारी नहीं है । माननीय सदस्य अगर लिख कर दे देंगे तो इसकी जांच करा दूंगे ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रांत के स्तर पर नलकूपों की संख्या जिलों के स्तर पर बांटी जाती है या प्रांत के स्तर पर शासन फैसला करता है ?

श्री राम लखन--

नलकूपों का वितरण हर जिले में शासन की तरफ से निर्धारित किया जाता है । सिंचाई की सुविधा कहां उपलब्ध है उसको देखत हुए ट्यूबवेल्स निर्धारित किय जाते हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि एटा जिले में 1968-69, 1969-70 व 1970-71 में कितने ट्यूबवेल्स कार्य करते रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं?

श्री राम लखन--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

चौधरी डीह से बढ़नी तथा बलरामपुर से जरवा मार्ग पर पुलों का निर्माण

*4--श्री सूरज लाल (जिला गोंडा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतावेंगे कि गोन्डा के प्रान्तीय खण्ड में चौधरी डीह से बढ़नी तथा बलरामपुर से जरवा मार्ग पर किन-किन नदियों पर पुल को निर्माण करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब कब कार्य दिया गया था? उन पुलों पर कितने रुपयों का व्यय करके ब्रिज निर्माण विभाग कितने प्रतिशत कार्य कर चुका है?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)--

सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1273 पर)

*5--श्री सूरज लाल--

क्या यह सच है कि उक्त पुल जिस परिस्थिति में उक्त विभाग को दिये गये थे उनके कार्य वहीं स्थिर हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि पुल निर्माणार्थ लेने के पश्चात् 30 सितम्बर, 1971 तक कुल कितनी धनराशि वर्क चार्ज एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन में व्यय हो चुका है?

श्री राजबिहारी सिंह--

जी नहीं। कार्य वहीं स्थिर नहीं है। 30 सितम्बर, 1971 तक वर्कचार्ज कर्मचारियों पर, 1,03,548.00 रुपये व्यय हुए हैं। अन्य नियमित कर्मचारियों का वेतन अधिष्ठान से चार्ज किया जाता है। अतएव, यह स्पष्ट कल्पना सम्भव नहीं है कि इन कर्मचारियों पर प्रश्नगत पुलों के संबंध में कितना व्यय हुआ।

श्री सूरज लाल--

प्रश्न 4 के संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन् 1962-63 में जो कार्य दिये गये थे उनके पूरा होने में क्यों ढ़िलाई हुई, क्यों वे काम अब तक पूरे नहीं हुए हैं? और उन अधिकारियों के विरुद्ध, जो जिम्मेदार है, कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री राज बिहारी सिंह--

[मान्यवर, जहां तक जांच का ताल्लुक है विभाग तो हमेशा ही उसे देखता रहता है कि काम में देरी होने का क्या कारण है। देरी होने का कारण यही है कि वह तराई का इलाका है और वहां ठेकेदार नहीं गये। मैंने खुद लिखा है कि काम नहीं रुकना चाहिये और जल्दी कराया जाय।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या मंत्री जी को ऐसी आशा है कि इन पुलों के निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में ही पूरे हो जायेंगे?

श्री राज बिहारी सिंह---

यह कहना सम्भव नहीं है ।

कानपुर जिले में मंगलपुर ग्राम के पास निवादा माइनर के साइफन का टूटना

*6---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में मंगलपुर निवादा माइनर का मगंलपुल ग्राम के पास का साइफन टूट गया है जिसके कारणउक्त गांव में पानी भरा रहता है? और इस सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भी जनता द्वारा दिये गये है ? यदि हां, तो उक्त टूटी हुई साइफन बनवाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और कब तब बन जायेगी ?

श्री राम लखन---

प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---निवादा माइनर को अब साइफन के स्थान पर ही समाप्त कर दिया गया है जिससे अब नाले में साइफन की आवश्यकता नहीं है ।

चौधरी रामपालसिंह यादव---

इस माइनर को समाप्त करने का क्या कारण है ?

श्री राम लखन---

इसकी वजह से पास के गांव में पानी भर जाता था, इसलिये इसे तोड़ दिया गया ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

इससे जो उस जगह सिचाई होती थी उसके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?

श्री रामलखन---

जो हिस्सा इस माइनर से सींचा जाता था, उसको अब दूसरी माइनर से सिंचाई के लिये जोड़ दिया गया है ।

कानपुर से एटा मेल बस की आय में कमी

*7---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज के कानपुर रीजन की कानपुर से एटा मेल बस की प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार की आय अन्य दिनों से लगातार कम हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके कारणों की जांच करवायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बलरामसिंह यादव)---

यह सही है कि एटा मेल बस सेवा में मंगलवार और शुक्रवार की आय में कुछ समय से कमी दिखायी पड़ी । सम्बन्धित ड्राइवर और कन्डक्टरों को इसके लिए दोषी पाते हुए प्रधान प्रबन्धक ने इन्हें इस मेल सेवा से अलग हटा दिया है ।

चौधरी रामपालसिंह यादव---

एटा बस सर्विस में मंगलवार और शुक्रवार को कौन-कौन से कन्डक्टर और ड्राइवर चलते थे तथा इन दिनों की आमदानी में तथा अन्य दिनों की आमदनी में कितना अन्तर रहा है ?

श्री बलरामसिंह यादव--

पहली अप्रैल, 1971 से आमदनी में कमी मालूम हुई। इस बस सेवा में जमुना प्रसाद ड्राइवर, पी० सी० पाठक व जी० बी० सिंह रहे हैं।

चौधरी रामपालसिंह यादव--

क्या यह सही है कि जब बराबर मंगलवार और शुक्रवार के दिन यहां की आमदनी कम होती रही, तब भी यही चालक और परिचालक उस रूट पर कार्य करते रहे ?

श्री बलरामसिंह यादव--

ऐसी बात तो नहीं है, इनके अलावा भी कुछ अन्य ड्राइवर तथा कन्डक्टर्स काम पर भेजे गये हैं।

श्री हिम्मतसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंगलवार और शुक्रवार की आमदनी क्या है और बकिया दिनों की आय क्या है ?

श्री बलरामसिंह यादव--

इसका तो चार्ट बड़ा लम्बा है, किन्तु यह तो मैंने बताया है कि आमदनी कम हुई है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

चूंकि कन्डक्टर्स की डाइरेक्ट पोस्टिंग की गयी है इस कारण यह भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा है, यह बात सही है ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री सूबेदार सिंह--

जो एटा मेल की आमदनी कम हुई, क्या शासन ने उसके कारणों की कोई जानकारी करने की कोशिश की ? यदि हां तो वे कारण क्या हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव--

इसकी जांच की जा रही है और इसके जो तीन कंडक्टर थे और ड्राइवर था उसका भी स्थानान्तरण कर दिया गया है और तीनों कंडक्टरों को उस बस सेवा से हटा दिया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बार-बार पूछा गया कि अन्तर आमदनी का क्या था, किन्तु यह बताया नहीं गया, इसलिये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्तर था। दूसरा जवाब यह है कि हटा दिया गया, तो क्या दोष उनके खिलाफ पाया गया और उस दोष की रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलरामसिंह यादव--

रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन चूंकि आमदनी कम हुई इसलिये अंदाजा लगाया गया कि इन लोगों ने जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी की होगी। कंडक्टरों को जो गुड कंडक्ट भत्ता मिलता था, वह भी तीन महीने का उनका काट लिया गया है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

यह कंडटर व ड्राइवर दोषी थे तो इतने बड़े दोष में इन्हें नौकरी से क्यों नहीं अलग किया गया, सिर्फ ट्रांसफर ही क्यों किया गया ? अब से क्या उनको मंत्री जी नौकरी से हटाएंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। जब रिपोर्ट आ जाएगी और सही तथ्य मालूम हो जायेंगे तो उनके हटाने पर विचार किया जा सकता है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जब आपने माना है कि वे लोग दोषी हैं तो भी उन्हें क्यों नहीं नौकरी से अलग किया गया ?

श्री बलरामसिंह यादव—

यह अंदाजा केवल इससे लगाया गया कि आमदनी मंगलवार और शुक्रवार को कम हुई है, इसलिये फिलहाल जनरल मैनेजर ने इन्हें स्थानान्तरित कर दिया और उनका गुड कांडक्ट भत्ता तीन महीने का काट लिया गया। इसके अलावा यहां से आर्डर हुए हैं, उसके अनुसार यदि मामला गम्भीर मालूम पड़ेगा तो और भी कार्यवाही होगी और सेवा से भी मुक्त किया जा सकता है।

मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

कंडक्टर और ड्राइवर की निगरानी टी० आई० और ए० टी० आई० करते हैं तो क्या इसकी जांच की गई कि यह लोग कहां सो रहे थे ? क्या यह लोग भी उसमें मिले थे और हिस्सा ले रहे थे ? क्या इसकी जांच कराई गई है ? उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री बलरामसिंह यादव—

जांच होती है और करीब 5 बार चेकिंग हुई है। मामले की जांच पूरी हो रही है, वे भी यदि दोषी पाए जायंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या उनके बारे में कोई जांच भी हो रही है या यों ही आप ने यह कह दिया ?

श्री बलरामसिंह यादव—

इन्क्वायरी तो पूरे मामले के बारे में हो रही है कि यह आमदनी क्यों कम हुई है और उसमें कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं, जिनकी वजह से यह आमदनी कम हुई है।

गोरखपुर खजनी-उरवा गोला-मार्ग और कौड़ीराम—गोला बड़हलगंज की राष्ट्रीयकरण योजना एवं उच्च न्यायालय में याचिकायें

*8—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर खजनी गोला रोड एवं कौड़ी राम गोला रोड पर रोडवेज की बसें चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलरामसिंह यादव—

गोरखपुर जिले के गोरखपुर खजनी—उरवा—गोला मार्ग और कौड़ीराम—गोला—बड़हलगंज मार्गों की राष्ट्रीयकरण योजना क्रमशः 7—11—70 और 13—6—70 को गजट में प्रकाशित हो चुकी है, किन्तु उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्यवाही रुकी हुई है।

*9—श्रीमती मसाली देवी (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि इस मार्ग के सम्बन्ध में प्राइवेट मोटर मालिकों ने कितने मुकदमे दाखिल किये हैं और मुकदमें का परिणाम क्या है, तथा यह विवाद किन-किन न्यायालयों में चल रहे हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव--

प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में उल्लिखित दोनों मार्गों के आपरेटरों ने 2याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की थीं तथा गोरखपुर खजनी-उरवा-गोला मार्ग के आपरेटरों ने न्यायालय, गोरखपुर में एक सिविल सूट भी दायर किया था। सिविल सूट न्यायालय (गोरखपुर) द्वारा खारिज किया जा चुका है परन्तु दोनों याचिकाएं उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु विचाराधीन हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, यह राष्ट्रीयकरण की योजना 1961 से विचाराधीन थी और उसी संबंध में इसके पूर्व मोटर आपरेटर्स हाई कोर्ट में जा चुके हैं। यदि हां, तो उस समय वे किस सवाल पर गये थे और इस समय किस सवाल पर गये हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव--

मान्यवर, मुझे केस के पूरे डिटेल्स तो मालूम नहीं है इतना मालूम है कि गोरखपुर के मोटर आपरेटर्स ने सिविल सूट फाइल किया था जो खारिज हो चुका है। दूसरे एक पेटीशन हाई कोर्ट में दायर की थी उस पर स्टे मिला हुआ है इसलिये राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि जिस आधार पर वे कोई कोर्ट में गये हैं क्या यही लोग इससे पूर्व भी हाई कोर्ट में जा चुके हैं और उनकी याचिका खारिज हो चुकी है ?

श्री बलरामसिंह यादव--

श्रीमन्, सूचना यह है कि वे पहली बार हाई कोर्ट में गये हैं और उनको स्थगन आदेश मिला हुआ है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मंत्री जी ने क्या कहा ? पहली बार गये हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव--

हाई कोर्ट में रिट दायर की हुई थी। उसी पर स्थगन का आदेश मिला है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है मोटर आपरेटर्स....

श्री उपाध्यक्ष--

उससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सारा सवाल यह है कि 60-61 से यह योजना चल रही है और 10 साल हो गये आज तक नहीं हो सकी। इसी सदन में जब रामजी लाल सहायक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टिर थे तो मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि अति शीघ्र व्यवस्था की जायेगी। इसके बाद गजट में प्रकाशित हुआ और फिर स्टे मिला हाई कोर्ट से तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौन सा तरीका इसके लिये इस्तेमाल किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

इससे यह सवाल उठता नहीं है। यह कार्यवाही रुकी हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सवाल यह है कि क्या सरकार को जो स्थगन आदेश मिला है उस संबंध में हाई कोर्ट के सामने अपना पत्र प्रस्तुत किया है या नहीं ?

श्री बलरामसिंह यादव—

सरकार ने अपना पत्र प्रस्तुत किया है ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, हरियाणा के मुख्य मंत्री ने घोषणा सदन में कर दी है कि 1972 में सारे मार्गोंका राष्ट्रीयकरण हो जायेगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कब तक कर ना चाहती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है । मुख्य मंत्री जी इसको बता सकते हैं । प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री मैनेजर सिंह—

आध घंटे की चर्चा करा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखेंगे तो देखा जायेगा ।

इलाहाबाद जिले में वर्ष 1971-72 में सड़कों के निर्माण की मंजूरी

*10—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के लिये वर्ष 1971-72 में कितनी सड़कों के निर्माण की मन्जूरी की गई है? यह सड़कें कब से बननी प्रारम्भ होंगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

मन्जूर की गई सड़कों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । प्रशासकीय अनुमोदन तथा प्राविधिक स्वीकृति के पश्चात् व भूमि उपलब्ध होने पर ही इन सड़कों पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 1276 पर)

*11—श्री राम गोपाल सण्ड—

[4थे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बलिया जिले में गायघाट के सामने गंगा का कटान रोकने के निमित्त वर्ष 1971 में व्यय

*12—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में गायघाट के सामने गंगा की कटान को रोकने के निमित्त वर्ष 1971 में कब-कब, किन-किन कार्यों, वस्तुओं और निर्माण पर कितना-कितना धन खर्चा हुआ है ?

श्री राम लखन—

बलिया जिले में बलिया बेरिया बांध के मील 11–7–0 से मील 12–7–0 तक गायघाट के सामने गंगा की कटान को रोकने के लिये वर्ष 1971 में 1 अप्रैल, से 25 नवम्बर तक 524 क्रेट डाले गये तथा अन्य विविध छोटे-छोटे कार्य किये गये जिन पर कुल व्यय, भण्डार का मूल्य सम्मिलित करके, 16,00,662 रु० हुआ। व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1277 पर)

*१३—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि उपरोक्त कार्यों, वस्तुओं तथा निर्माण हेतु ठेके दिये गये थे ? यदि हां, तो किसको-किसको किस दर से ? और क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यों पर जो धनराशि व्यय की गई है उसकी दर किन्हीं-किन्हीं कार्यों के लिये एग्रीमेंट की दर से भी अधिक दर से भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि क्रेट जाली बुनाई का टेंडर प्रति जाली दस रुपये आया था और भुगतान इंजीनियर ने 16 रूपया किया है ?

श्री राम लखन—

प्रश्न संख्या 13 में इस सम्बन्ध में पूछा गया था उसके लिए उत्तर दिया है कि उसके लिए सूचना एकत्र कर रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि जो वस्तुओं की आपूर्ति 14 लाख हुई है उसमें कौन-कौन वस्तुएं ऐसी हैं जिनके बारे में टेंडर आमंत्रित किये गये और कौन-कौन वस्तुओं का बिना टेंडर के वर्क आर्डर द्वारा काम हुआ ?

श्री राम लखन—

कौन-कौन वस्तुएं इस्तेमाल में आयीं उसकी तालिका दी है । जितनी चीजें मंगायी गयीं सब के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये, जिन टेंडरों से काम पूरा नहीं किया है, उनके लिए वर्क आर्डर से काम हुआ ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस काम के लिए जितने टेंडर आमंत्रित किये गये थे उनमें से कितने टेंडर ऐसे थे जो एग्रीमेंट करने नहीं आये और जो नहीं आये उनके स्थान पर फिर से टेंडर काल करने की क्या कार्यवाही हुई ? और जो उन्होंने अग्रिम धन जमा किया होगा वह धन उनका जब्त किया गया ?

श्री राम लखन—

उसका उत्तर प्रश्न 13 में दे दिया है । इसकी सूचना एकत्र कर रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ईंटें की आपूर्त्ति 8 लाख 18 हजार हुई है सारी की सारी वर्क आर्डर द्वारा की गयी है और वर्क आर्डर में बलिया क विधायक के भाई भी शामिल

हैं और जब कि सहायक इंजीनियर को 10 हजार से कम वर्क आर्डर देने का अधिकार है तो 1 लाख 18 हजार का वर्क आर्डर किस नियम के अनुसार दिया है ?

श्री राम लखन—

इसकी सूचना नहीं है, एकत्र की जा रही है । पहले कह चुका हूं ।

न्योतनी से उन्नाव तक प्राइवेट बसों का परमिट

*14—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत कस्बा न्योतनी से उन्नाव तक चलने के लिये प्राइवेट बसों को परमिट दिया गया था और इस समय उक्त मार्ग पर परमिट होने के बावजूद भी कोई बस नहीं चल रही है? यदि हां, तो क्या उनके लाइसेंस (परमिट) रद्द किये जायेंगे और भविष्य में शीघ्र ग्राम न्योतनी से उन्नाव बसें चलाये जाने की व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलराम सिंह यादव—

उन्नाव—अजगैन—न्योतनी—मोहान—हसनगंज—मलीहाबाद सम्मिलित मार्ग पर 6 प्राइवेट बसों के परमिट सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा 1967 से दिये गये हैं । न्योतनी होते हुये बस न ले जाने के संबंध में संबंधित प्राधिकारी उचित कार्यवाही कर रहे हैं । यह सूचना दी गई है कि बारिश में प्राइवेट बसें न्योतनी नहीं जाती थीं, अब कुछ बसें वहां जा रही हैं ।

जौनपुर जनपद में कलेक्ट्रेट के पीछे बने "डी" टाइप के क्वार्टरों का एलाटमेंट

*15—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में कलेक्ट्रेट के पीछे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आवास हेतु "डी" टाइप के कितने क्वार्टर जनवरी, 1971 से अब तक तैयार कराये गये और उनमें से कितनों को एलाटमेंट केंद्रीय कर्मचारियों को तथा अधिक तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों को किया गया और निर्मित क्वार्टरों में से कितने अब तक खाली हैं ? और उनके खाली रहने का कारण क्या है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जौनपुर जनपद में कलेक्ट्रेट के पीछे जनवरी 1971 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिये (डी) टाइप के 56 क्वार्टर तयार कराये गये हैं । उन क्वार्टरों में से कोई भी क्वार्टर केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दिया गया है । एक क्वार्टर एक डिप्टी कलेक्टर को अस्थायी तौर पर एलाट किया गया है क्योंकि उनके लिये कोई अन्य व्यवस्था अभी नहीं हो सकी है। क्वार्टर सब दिये जा चुके हैं, लेकिन एक क्वार्टर का अभी आवंटनी ने कब्जा नहीं लिया है, इसलिये वह खाली है ।

*16—श्री जंगबहादुर यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह कृपया बतायेंगे कि अब तक कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के कितने प्रार्थना-पत्र एलाटमेंट अधिकारी को दिये गये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राज बिहारी सिंह---

कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के 338 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसमें से 55 कर्मचारियों को क्वार्टर एलाट किये गये। शेष आवेदन-पत्रों पर क्वार्टरों के और उपलब्ध हो जाने पर विचार किया जायगा।

श्री जंगबहादुर यादव---

क्या मंत्री जी यह कृपया बतायेंगे कि यह जो प्रार्थना-पत्र क्वार्टर अलाटमेंट के लिये दिये हैं उसके लिये कोई रजिस्टर मेन्टेन किया गया है और जो आबंटन किया गया है? उसका आधार क्या है, क्या क्रम से दिया गया है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

मान्यवर, रजिस्टर रखा गया है। तभी बताया गया कि 338 दरख्वास्तें आयीं, 55 आदमियों को क्वार्टर एलाट किये गये किस दृष्टि से एलाट किया गया, उनकी आवश्यकता को देखते हुए एलाट किया गया।

श्री सूबेदार सिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो क्वार्टर्स अलाट किये गये हैं उनका रेंट किस हिसाब से लिया जाता है, उसके बारे में सरकार की कोई पालिसी है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

मान्यवर, यह जैसे और सरकारी कर्मचारियों के लिये नियम है, उनकी तनख्वाह का दस परसेंट या क्या वसूल होता है वही उनसे लिया जाता है।

श्री जंगबहादुर यादव---

मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक क्वार्टर खाली होने की बात कही गयी है यह एलाटमेन्ट जिस समय प्रश्न किया गया है उसके बाद किया गया या पहले किया था और वह कब किया गया ?

श्री राज बिहारी यादव---

ये मान्यवर, क्वार्टर्स एलाट कर दिये गये। एक आदमी अभी नहीं गया है इसलिये एक क्वार्टर खाली है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

साधारणतया नियम यह है कि कर्मचारियों तथा अधिकारियों से उनके वेतन का 10 प्रतिशत किराये के रूप में लिया जाता है तो कर्मचारियों से 10 प्रतिशत से कुछ कम किराया लेने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राज बिहारी सिंह---

सरकार हमेशा कर्मचारियों के प्रति उदार नीति बरतती है। इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है लेकिन जब पैसा होगा तब विचार कर लेगी।

श्री मैनेजर सिंह---

आवश्यकता को देखते हुए क्वार्टर एलाट किया गया लेकिन यह जो एक क्वार्टर खाली पड़ा है यह ऐसे व्यक्ति को एलाट किया गया जिसको आवश्यकता नहीं है जिसके कारण वह खाली पड़ा है?

श्री उपाध्यक्ष---

यह ब्योरे का सवाल है । जिसने खाली रखा है उसने अभी कब्जा नहीं लिया है । अभी नहीं गया होगा लेकिन बाद में जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह---

मेरा प्रश्न यह है कि जिसको आवश्यकता नहीं थी उसको एलाट किया गया तो ऐसे आदमी को क्यों नहीं एलाट कर दिया गया जिसको आवश्यकता थी और जो फौरन उसमें जा सकता था ?

श्री राज बिहारी सिंह---

वह आवंटित हो गया । नहीं गया लेकिन किराया दे रहा होगा । कायदा यह है कि एलाट होने के एक हफ्ते के अन्दर किराया वसूल किया जाता है । जरूरत नहीं होती तो तुरन्त लिख देता कि जरूरत नहीं है तो दूसरे को दे दिया जाता है ।

शाहजहांपुर जिले में बाढ़ से आबादी का कटाव

*17---श्री सुरेंद्र विक्रम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के कितने गांवों की आबादी इस वर्ष की बाढ में विभिन्न नदियों से कट गई तथा कितने ऐसे गांव हैं जिनको भविष्य में नदियों की बाढ़ से खतरा उत्पन्न हो गया है ? क्या सरकार उन गांवों में कटान से बचाने हेतु बांध बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम लखन---

प्रश्न का प्रथम भाग---

शाहजहांपुर जिले में नदियों में बाढ आने से 26 गांवों की आबादी में कटाव हुआ है और इन गांवों के अतिरिक्त 21 ग्राम ऐसे हैं जिनकी आबादी को भी भविष्य में नदियों में बाढ़ आने से खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

प्रश्न के दूसरे व तीसरे भाग---

इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

जब बाढ़ आती है तो बड़ी विभीषिका गांवों में होती है । जिन गांवों की आबादी कट जाती है तो क्या सरकार इस संभावना पर विशेषज्ञों द्वारा जांच करायेगी कि स्पर बना दिये जायें तो आबादी कटने से बच सकती है ?

श्री राम लखन---

इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है । अगर टेक्निकल दृष्टि से तथा वित्तीय दृष्टि से यह सही होगा तो विचार किया जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में ऐसा कोई प्लान है कि जिन गांवों की आबादी का कटान होता है वहां का सवक्षण कराया जाय और एसे उपाय किये जायं जिनसे कटान रुक सके ?

श्री राम लखन—

नदियों के किनारे हमारे प्रदेश में इतने गांव बसे हैं कि सब गांवों की सुरक्षा की व्यवस्था संभव नहीं है। जहां-जहां समस्यायें पैदा होती जायेंगी उनको एग्जामिन करके देखा जायगा ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

जो गांव कटने वाले हैं यदि वे चन्दा सरकार को दें तो स्पर बनाने के लिये क्या सरकार कुछ योगदान करेगी अपनी तरफ से ?

श्री राम लखन—

गांव सभा उस काम को स्वयं करा सकती है ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

मेरा प्रश्न है क्या सरकार कुछ सहायता देगी ?

श्री राम लखन—

हमारे यहां से अनुदान मिलने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) —

जो 26 गावों में कटान हुआ है उन गांव के रहने वालों को अब तक क्या सहायता पहुंचाई गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है ।

राजकीय रोडवेज मन्डल, गोरखपुर में परिचालकों का प्रशिक्षण

*18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज मंडल, गोरखपुर के जनपद गोरखपुर से संबंधित कितने लोगों को वर्ष 1970–71 एवं 1971–72 में परिचालक हेतु प्रशिक्षण कराया गया ? इनमें से कितने लोगों से जमानत जमा कराई गई और कितने लोगों से जमानत नहीं जमा करा गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले बजट सत्र में इसी आशय का एक प्रश्न आया था कि ऐसे जो बस परिचालक हैं जिनकी सिक्युरिटी जमा करने की बात थी तो उत्तर यह दिया गया था कि उनसे जमा करा लिया जायेगा। तो इतना होते हुए भी इन लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों को प्रशिक्षण देकर नियुक्ति करा ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। किन्तु इस अवधि में कुछ अन्य लोगों को इनके अतिरिक्त नियुक्त कर लिया गया है। इस संबंध में हमने सूचना मांगी है और अभी तक वह प्राप्त नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी....

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

जिसने प्रश्न किया पहले उसी को मौका दिया जाता है । मैंने माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को बुलाया है । आपको मौका मिलेगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको कोई ऐसी शिकायत मिली है कि बस परिचालकों की जो लिस्ट है गोरखपुर रीजन में, उसके अनुसार नियुक्तियां नहीं की गई हैं और यहां-वहां से की गई हैं ? इस प्रकार नियमों का पालन नहीं हो रहा है । यदि माननीय मंत्री जी को ऐसी शिकायत मिली हो तो वे उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस तरह की मुझे सूचना मिली है और हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, 1-11-71 को यह प्रश्न किया गया है और आज दो माह का समय हो गया है ....

श्री उपाध्यक्ष--

आपके नेता जी ने भी वही सवाल किया है। आप बैठें।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर में बुकिंग क्लर्कों और कंडक्टरों का एक इम्तहान हुआ था जिसका कि अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है और वह वहां के जनरल मैनेजर द्वारा घोषित नहीं किया गया है और उन आदमियों को रखा गया है जिनसे उनका लाभ है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे कुछ शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई हैं और जो इम्तहान लिया गया था उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है । इसके बारे में जांच कराई जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बस परिचालकों को सेवा में लेने के पूर्व और प्रशिक्षण देने के पहले 250 रुपया और प्रशिक्षण देने के बाद सेवा में लेने से पूर्व 500 रुपया की रकम को लेकर नियुक्ति उनकी की जाती है ? यदि हां, तो क्या आपको इस तरह की कोई सूचना मिली है। यदि मिली है, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपकी सूचना है कि पैसा लेकर नियुक्ति की गई है।

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, शिकायतें तो आई हैं किन्तु उन शिकायतों के डिटेल मुझे मालूम नहीं हैं । उन शिकायतों पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री वातल इन्क्वायरी कर रहे हैं । उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। जब रिपोर्ट मिल सकेगी तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में बाढ़ योजना

*19—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील में सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है जिससे बाढ़ से लोगों की रक्षा हो सके ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

श्री राम लखन---

प्रश्न का प्रथम भाग---

जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा रही है ।

प्रश्न का दूसरा भाग ---

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दलसिंगार यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अधिकारियों ने इस तरह की कोई सूचना भेजी है कि जहां पर बाढ़ हर वर्ष आती है उन गांवों को ऊंचा किया जाय ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

श्री राम लखन---

मान्यवर, सगड़ी तहसील के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है ।

श्री छांगुर राम---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न कर्ता ने जिन गांवों के बारे में कहा है कि घाघरा नदी मे डूब जाते हैं, तो इस बात का खयाल करते हुये जैसा कहा कि कोई योजना नहीं है तो जब उन पर हर साल कुछ खर्च होता है बाढ़ आने के बाद तो क्या कठिनाई है योजना बनाने में है ताकि उनकी सुरक्षा कर दी जाय जिससे बाढ़ से वहां बरबादी न हो ?

श्री राम लखन---

सगड़ी तहसील के गांवों की सुरक्षा के लिये बाढ़ से घाघरा नदी का एक बांध बनाया गया था । वह बांध और उस घाघरा नदी के बीच के जो गांव हैं उन्हीं के बचाव की समस्या है । तो बीच में दूसरा बांध बनाना तो सम्भव नहीं है तकनिकी दृष्टि से ।

श्री दलसिंगार यादव---

जब बांध के बीच में गांव पड़ते हैं और हर साल बाढ से तबाह होते हैं और कई बार माननीय मंत्री जी को इस बारे में लिखा है और मुझे इस तरह का पत्र भी प्राप्त हुआ है कि यहां से बाढ़ को स्थायी रूप से निकालने के लिये एक योजना सरकार तैयार कर रही है, तो सरकार उसे कब तक लागू करने जा रही है ?

श्री रामलखन---

ऐसी कोई योजना नहीं है और बांध और नदी के बीच में दूसरा बांध बनाना सम्भव नहीं है ।

*20—श्री श्रीराम सिंह—

[5वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जनपद में नलकूप एवं नहरें

*21—श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोंडा जनपद में कुछ ऐसे विकास खंड भी हैं, जहां विद्युत चालित नलकूप अथवा नहर द्वारा सिंचाई सुविधा शून्य या नाममात्र को उपलब्ध है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों में इन सुविधाओं को कब-कब उपलब्ध कराने का विचार है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, मिर्जापुर में लिपिकों का चुनाव

*22—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, मिर्जापुर के अन्तर्गत कुछ लिपिकों का चुनाव गत 8 व 9 सितम्बर, 1971 को किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि मिर्जापुर रोजगार दफ्तर ने कुछ छंटनी किये गये ब्लाक कर्मचारियों का नाम भी भेजा था, जिन्हें वरीयता मिलनी चाहिये थी पर उनमें से एक को भी नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

केवल छटनीशुदा कर्मचारियों को ही साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था और उन्हीं में से तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

इरादतनगर-आगरा सड़क का निर्माण

*23—श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिला की तहसील फतेहाबाद में इरादत नगर-आगरा मार्ग जिसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाने का प्राविधान था क्या इस वर्ष बनाया जा रहा है ? अगर हां, तो यह मार्ग कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में इरादतनगर-आगरा सड़क के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं था।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह सड़क शामिल है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जी नहीं।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लेने का विचार करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, नहीं।

*24—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज बन्धी डिवीजन के ठेकेदारों के धन का भुगतान

*25—श्री रामनिहोर राय (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज बंधी डिवीजन के कितने ठकेदारों का भुगतान कितने समय से रोका हुआ है और उस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

रिहन्द बांध के कर्मचारियों का प्रोजेक्ट या कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की समाप्ति करना

*26—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध पर काम करने वाले सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को जो प्रोजेक्ट या कम्पेन्सेटरी एलाउन्स मिलता था वह कब से और क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री राम लखन—

रिहन्द बांध पर नियुक्त सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को देय प्रतिकर भत्ता परियोजना के पूर्ण होने तथा वहां पर उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर दिनांक 8 जनवरी, 1970 से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी को विदित है कि रिहंड में जो विद्युत् विभाग के कर्मचारी हैं उनको यह भत्ता दिया जा रहा है तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक ही सरकार के दो विभाग के कर्मचारियों के अन्दर असमानता न बरती जाय ?

श्री राम लखन—

विद्युत परिषद् आटोनामस बाडी है वह जो अपने कर्मचारियों को दे रही है उसके अनुसार सरकार अपने कर्मचारियों को देने को बाध्य नहीं है ।

श्री राम 'यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत मंत्री को ज्ञात है कि पुलिस वाले जो सुरक्षा का काम करते हैं और विद्युत परिषद् वाले और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जब उतना भत्ता पा रहे हैं और माल विभाग के भी पहले पाते थे तो जबकि दो साल मांग बराबर चलती जा रही है और जबकि विद्युत परिषद् और सिंचाई विभाग के कर्मचारी एक ही परियोजना के अन्तर्गत काम करते हैं, कोई अन्य सिंचाई का काम नहीं करते हैं तो जबकि दो कानून से अलाऊंस मिलता है एक तो रिमोटनेस आफ दि प्लेस यानी सुविधाजनक स्थान से दूर होने और आर्थिक कठिनाइयों के कारण मिलता है तो क्या मन्त्री जी जब वे दोनों ही परियोजना में काम करते तो उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई कर्मचारियों को भी उक्त सुविधा देने पर विचार करेंगे ?

श्री राम लखन--

मैंने जवाब दे दिया कि विद्युत् परिषद् आटोनामस बाडी है, वह अपने कर्मचारियों को भत्ता दे रही है तो उसके अनुरूप यहां भत्ता नहीं दिया जा सकता। सिंचाई विभाग के जितने भी कार्य चल रहे हैं वह परियोजना समाप्त होने के बाद मेंन्टीनेन्स के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने का नियम नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

श्रीमन्, मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि उनकी उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये यह एलाऊंस नहीं दिया जा रहा है तो कौन-कौन सी सुविधायें उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं जो उनको पहले से नहीं थी ?

श्री राम लखन---

पहले सड़कों, स्कूल तथा अस्पताल की सुविधायें नहीं थी और जीवन की कुछ आवश्यक वस्तुओं की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी और कास्ट बहुत पड़ती थी इसलिये यह भत्ता दिया जाता था।

*27---श्री कल्याण सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*28---श्री कल्याण सिंह---

[4 थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*29---श्री त्रिवेणी सहाय---

[3 रे मंगल में प्र० सं० 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*30---श्री नेतराम सिंह---

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

*31---श्री अनन्तराम जायसवाल---

[4 थे बुधवार के लिये स्थानान्तरित]

*32-33---श्री डी० पी० बोरा---

[4थे बुधवार के लिये स्थानान्तरित]

*34---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

[3रे गुरुवार में प्र० सं० 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*35---श्री निर्भय नारायण सिंह---

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर के ग्रामों की विभिन्न सड़कों का निर्माण

1---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

1---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर से चौरी-चौरा होते हुये देवरिया जनपद को जाने वाली सड़क पर स्थित जनपद गोरखपुर के ग्राम मोतीराम अड्डा से बरही-गोबड़ौर बोहाबार होते हुए रुद्रपुर (देवरिया) तक तथा चौरी-चौरा से नकवार महवर कोल होते हुए गजपुर जाने वाली सड़कों को पी० डब्लू० डी० द्वारा निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से तथा उसमें क्या प्रगति हुई है ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री महमूद अली खाँ—
जी नहीं ।

यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, इलाहाबाद के कर्मचारियों का स्थायीकरण

2—श्री राम गोपाल संड—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० गवर्नमेंट रोडवेज, इलाहाबाद क्षेत्र में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दिनांक 30 सितम्बर, 1971 तक भी स्थायी घोषित नहीं किये गये और इन्हें स्थायी कब किया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज, इलाहाबाद में दिनांक 30 सितम्बर, 1971 तक 1502 कर्मचारी अस्थायी थे । स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर ही स्थायीकरण पर विचार किया जाता है ।

हसनगंज-बांगरमऊ सड़क के निर्माण में प्रगति

3—श्री सजीवनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत हसनगंज से बांगरमऊ जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की बनाने हेतु सरकार ने जो स्वीकृति पिछले साल के बजट में दी है उस पर अब तक क्या प्रगति हुई तथा कब तक बन कर तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत मार्ग का विस्तृत आगणन तैयार कर लिया गया है । कार्य के निर्माण की पुनःरीक्षित वित्तीय स्वीकृति तथा प्राविधिक स्वीकृति देने के पश्चात् इस मार्ग पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा । इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायगा ।

4—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

एटा के बिकास क्षेत्र सकीट व सिढ़पुरा में राजकीय ट्यूबवेलों का निर्माण

5—श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला एटा के अन्तर्गत विकास स्त्रेत्र सकीट व विकास क्षेत्र सिढपुरा में अब तक कितने राजकीय ट्यूबवेल बन चुके हैं और अब चालू योजना के अन्तर्गत कितने और बनने हैं ?

श्री राम लखन—

जिला एटा के अन्तर्गत विकास क्षेत्र सकीट में इस समय 12 राजकीय नलकूप हैं । इनमें से 6 नलकूप वर्ष 70–71 में बनाये गये तथा 6 नलकूप वर्ष 1971–72 में बनाये गये हैं ।

विकास क्षेत्र सिढपुरा में अब तक कोई नलकूप नहीं है ।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में बनने वाले राजकीय नलकूपों का जिलेवार निर्धारण अभी निश्चित नहीं हुआ है । यह प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही किया जाता है। जिले में कहां कहां नलकूप लगेंगे इसका निर्णय जिला चयन समिति करती है जिसके अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं ।

गोंडा जिले में सड़कों व पुलों का निर्माण

6—श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा गोंडा जिले की किस-किस सड़क और पुल के निर्माण का कार्य गत तीन वित्तीय वर्षों में किया गया है ? और बन कर तैयार हुई सड़कों की अलग-अलग लम्बाई क्या है ?

श्री महमूद अली खां—

सूचना सदन की मेज पर रखी सूची दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1278 पर)

7—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला अलीगढ़ में राजकीय नलकूपों का आवंटन

8—श्री श्रीराम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1971-72 में जिला अलीगढ़ के किस-किस विधान सभाई क्षेत्र में कितने-कितने राजकीय नलकूप कहां-कहां लगाने की योजना है तथा राजकीय नलकूपों के आवंटन का आधार क्या है ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

वर्ष 1971-72 में जिला अलीगढ़ में लगाये जाने वाले नलकूपों का विवरण संलग्न तालिका में है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

मुख्यतः आवश्यकता एवं साधनों के आधार पर नलकूपों का जिलेवार आवंटन किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1280 पर)

जौनपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों की धनराशि की अदायगी

9—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 20 फरवरी, 1971 से 31 मार्च, 1971 तक ठेकेदारों की अदायगी के लिये अपने विभाग से कितने चेक काटे और कितनी धनराशि के ?

श्री महमूद अली खां—

जौनपुर अस्थायी खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्दिष्ट अवधि में ठेकेदारों की अदायगी हेतु 266 चेक काटे गये जिनकी कुल धनराशि रु0 8,10,044.36 हुई ।

10—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[4 थे बुधवार के लिये स्थानान्तरित]

11—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[4थे बुधवार के लिये स्थानान्तरित]

जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल में पुलों का निर्माण

12—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु कौन कौन से पुलों की संस्तुति की थी तथा शासन ने कौन-कौन पुल स्वीकृत किये तथा इनमें से कौन-कौन निर्मित हो गये और कौन-कौन निर्माणाधीन हैं और किन-किन का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में होगा ?

श्री महमूद अली खां—

जिन पुलों के निर्माण की संस्तुति जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल ने की थी, उनकी सूची सदन की मेज पर रक्खी है। प्रदेश में पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना के साथ शासन ने यह भी निर्णय लिया था कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सामान्य तौर पर उन्हीं विकास कार्यों को हाथ में लिया जाय, जिनको राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के लिये निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत किये जाने की संस्तुति जिला परिषद् एवं पर्वतीय विकास परिषद् द्वारा की गई हो। चूंकि उपलब्ध परिव्यय के अन्तर्गत इन पुलों के निर्माण की संस्तुति जिला परिषद्, पौड़ी गढ़वाल एवं पर्वतीय विकास परिषद् द्वारा नहीं की गई है, इन का निर्माण स्वीकृत करना शासन के लिये सम्भव नहीं हो सका।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1281 पर)

4 अगस्त, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर का शोधन

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)—

विधान सभा के दिनांक 4 अगस्त, 1964 के श्री ऊदल (तत्कालीन सदस्य विधान सभा) द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का संशोधित उत्तर।

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
3—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव रामनगर बूची के परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में तथा उसके आसपास सिंचाई की क्या व्यवस्था है? क्या सरकार रामनगर में एक ट्यूबवेल लगाने पर विचार करेगी ?	जिला वाराणसी के परगना कोल असला स्थित रामनगर ग्राम तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के सिंचाई इस समय तीन नलकूपों से, जो सिसवां, मदनपुर तथा बड़ागांव में लगे हैं, से होती है। चूंकि पूरे क्षेत्र की सिंचाई इन नलकूपों से नहीं हो पाती थी अतः एक नया नलकूप टिकरी में भी लगाया जा रहा है और एक दूसरा नलकूप रामनगर ग्राम में भी बनाने का विचार है। **संशोधित उत्तर** परगना कोल असला तहसील में व जिला वाराणसी ग्राम रामनगर व बूची और उसके आसपास के क्षेत्रों में राज्य की ओर से सिंचाई की कोई व्यवस्था पहले नहीं थी परन्तु अब रामनगर बूची में राजकीय नलकूप लगा दिया गया है और अक्तूबर, 1971 में विद्युतीकरण करके यह नलकूप चालू कर दिया गया है।

विधान सभा सदस्य, श्री गुप्तार सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

हमारे माननीय सदस्य गुप्तार सिंह जी की मृत्यु हो गई है इसलिये आज सदन स्थगित किया जाय।

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, आज बड़ा दुख है हम सबको इस बात से कि हमारे बड़े पुराने साथी, स्वतंत्रता संग्राम के बड़े कर्मठ और बहादुर सिपाही, विधान सभा के पिछले 20 वर्षों से हमारे निरन्तर रहने वाले सदस्य रायबरेली जिले के एक अनन्यतम आदरणीय व्यक्ति जिनकी अनेक सामाजिक, राजनैतिक सेवायें हैं, उनका देहान्त कल रात को एक बजे बलरामपुर अस्पताल में हो गया। श्री गुप्तार सिंह के नाम से हम सब लोग परिचित हैं और उनकी उम्र 74 वर्ष की थी। इधर दो वर्षों से वे हृदय की बीमारी से त्रस्त थे। कई बार अस्पताल गये और अच्छे होकर आये और फिर बीमार हुए और फिर अस्पताल गये। इस तरह से बीमारी का सिलसिला दो वर्ष से बराबर चल रहा था। गुप्तार सिंह जी उस पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन 1930 से देश की सेवा में लगाया। रायबरेली कांग्रेस के संगठन का श्रेय उन्हीं को है। जिस जमाने में अंग्रेजी राज्य था और कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं का जब नाम आता था तो उनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता था। रायबरेली जिले के स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम सबसे ऊपर था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनके साथ काम करने का और उस जमाने में उनके साथ जेल में रहने का। 1942 के आन्दोलन में उन्होंने विशेष प्रकार से भाग लिया था और नैनी जेल में हम लोग नजरबन्द थे। रायबरेली के वहां और भी बहुत से साथी थे, जिनमें गुप्तार सिंह भी थे। वे बड़े तगड़े, बड़े निर्भय, स्पष्ट वक्ता और बड़े हंसमुख और विनोदप्रिय थे। उनका आदर और सम्मान, उनकी देश सेवा के कारण सभी के हृदय में था। 1952 से रायबरेली के सरैनी निर्वाचन क्षेत्र से बराबर विजयी होते चले आये थे। आज वे 20 वर्षों से विधान सभा के सदस्य रहे। उनकी मृत्यु के समय उनका परिवार, उनके पुत्र तथा पुत्र-वधू सभी मौजूद थे। अभी 3-4 दिन पहले वे सदन में भी आये थे और नीचे मिल गये थे। मैंने मना किया कि आप इस स्थिति में क्यों आते हैं। आपका चलना-फिरना मुनासिब नहीं है। वह मेरा हाथ पकड़कर लिफ्ट से यहां आये उस समय लग रहा था कि उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि अब आप चले जाइये तो अच्छा है। 1-2 बार मतदान के अवसर पर वे स्ट्रेचर पर आये और मतदान किया। कल रात को उनकी तबियत कुछ विशेष खराब हुई। नाक से रक्त स्राव हुआ, धीरे-धीरे बढ़ा और बढ़ता ही चला गया। डाक्टरों का ऐसा ख्याल है कि उनके ब्रेन की कोई नर्व फट गयी। रक्तस्राव को रोकने की चेष्टा की गयी लेकिन नहीं रुका और रात्रि के 12 और 1 के बीच में उनका देहावसान हो गया। प्रातःकाल उनका शव दारुलशफा लाया गया। हममें से बहुत से लोग वहां उपस्थित थे। उनका अन्तिम दर्शन हुआ और उनका शव, विधान सभा के रायबरेली के, उनके दूसरे साथी, रायबरेली ले गये। उनका गांव गंगा के तट पर है वहां पर उनका दाह संस्कार करने की क्रिया परिचालित होगी।

मान्यवर, एक ऐसे पुराने साथी और उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत-सी कठिनाइयों, बाधाओं और दुखों के रहते हुए भी देश की सेवा में भाग लिया, देश के लिये त्याग किया तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के दंड भोगे, जेल की यातनायें सहीं और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी बराबर वे देश और समाज सेवा में लगे रहे। उनका इतना आदर और सम्मान था कि वे हम सब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की श्रद्धा के पात्र थे। उनके उठ जाने से हमारे प्रदेश के राजनैतिक जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का आभाव हो गया है, जो उस युग का स्मरण कराता रहा है जो युग इस देश के लिये स्वाधीनता संग्राम का युग रहा है। आज के युग के और उस युग में ऐसे लोगों की श्रृखंला के रूप में वे हमारे सामने उपस्थित रहे हैं, जो देश सेवी हैं। रायबरेली के राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा शून्य आ गया है। सभी आपकी बात मानते थे, सभी आपका आदर करते थे और उन विशेष फैसलों में, जब कभी आपस में कार्यकर्त्ताओं में मतभेद होता था तो उस समय गुप्तार सिंह जी की बात मानी जाती थी, क्योंकि वे सबके आदर के पात्र थे। विरोधियों के हृदय पर भी उनके त्यागमय जीवन का प्रभाव था। उनके उठ जाने से रायबरेली को एक बड़ी भारी क्षति हुई है। उनका बड़ा परिवार है, उनके शोक और दुख को मैंने देखा है, मैं उस समय वहां मौजूद था, उनको देख रहा था। मुझे भी बड़ा भारी देख हुआ। उनके उठ जाने से हम सब बहुत दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे एक ऐसे पुण्यातमा को सद्गति प्रदान करें, और उनके परिवार के प्रति और रायबरेली में सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों के प्रति हम अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करत हैं। हमारी संवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

इस अवसर पर मेरा यह भी सुझाव है अच्छा हो कि उनके निधन के अवसर पर सारे सदन का शोक व्यक्त करने के लिये तीन बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। और 3 बजे के बाद फिर बैठें तो आज का जो कुछ काम है, उसको पूरा कर लें। दो घंटे की एक चर्चा है, हमारे सरकारी सेवाओं से लगे हुए कर्मचारियों के अन्तरिम सहायत के सम्बन्ध में उसे पुनः जब हम बैठेंगे 18 तारीख को तो उस दिन के लिये उसको रख लिया जाय। बाकी जो आज का कार्य है वह 3 बजे के बाद बैठ कर हम समाप्त कर लें। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे अपने पुराने सदस्य और ऐसे हम लोगों में से बहुतों के वह पुराने साथी हैं, उस युग के साथी हैं जब हम सब मिलजुल कर गांधीजी के नेतृत्व में देश के स्वाधीनता संग्राम में अपनी बहुत छोटी-सी और तुच्छ शक्ति और बुद्धि के अनुसार अपना बहुत तुच्छ योगदान प्रदान करते थे। उस काल का बन्धन, चाहे कितने भी भेद और मतभेद हों, यह टूटे नहीं हैं और वह एक पीढ़ी है जिसमें से किसी का चला जाना एक ऐसा स्थान रिक्त कर देता है कि जिस की पूर्ति कभी हो नहीं सकती।

इन शब्दों के साथ उनके निधन पर दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी सादर श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना आप पहुंचा देने का कष्ट करें।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वर्गीय श्री गुप्तार सिंह के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनमें अपने आप को और अपने सब साथियों को शामिल करता हूं। मुझको उनके साथ जेल में रहने का तो सौभाग्य नहीं मिला लेकिन सन् 52 से वह इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। उनका काम देखने का जरूर मुझको मौका मिला और मैं कई बार उनका जो सरैनी का क्षेत्र है, वहां उनके बुलाने पर गांव की सभाओं में गया हूं। यहां मैंने उनकी जनप्रियता को देखा है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके खिलाफ कभी किसी प्रकार का लांछन हम में से किसी की नोटिस में नहीं आया। आज देश की बदकिस्मती है कि ऐसे चरित्रवान और त्यागी जनसेवकों की तादाद धीरे-धीरे कम होती जा रही है। मुझको यह भी याद पड़ता है कि गांव के गरीब लोगों के प्रति उनकी एक विशेष दृष्टि थी। जमींदारी विनाश के संबंध में जितने मुख्तलिफ किस्म के कानून बने उनमें उनके सुझाव हमेशा ऐसे होते थे जिससे कि गरीब लोगों को राहत पहुंचे।

[श्री चरण सिंह]

इन शब्दों के साथ मेरी भी आप से प्रार्थना है कि आप हम लोगों की समवेदना उनके परिवार के प्रति पहुंचाने की कृपा करें और मैं माननीय त्रिपाठी जी के साथ शरीक होता हूं परमात्मा से प्रार्थना करने में कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

*श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने आज ठाकुर गुप्तार सिंह के संबंध में कहा मैं तो जब सन 62 में इस असेम्बली में आया तो उस वक्त वह कांग्रेस पार्टी के एक स्तम्भ थे और सचमुच बड़े निर्भीक नेता थे। जैसा पंडित जी ने कहा, वह स्वतंत्रता संग्राम के तो सेनानी थे ही, एक दिन था जब ऐसे सारे नेता इस देश की आजादी की लड़ाई मे शरीक हुए थे और उनका जो सारा कार्यक्रम था, जिस रास्ते से वे चले हैं वह एक रास्ता बन जाता है और उनका जीवन बिल्कुल एक संस्था के रूप में हो जाता है, ऐसे श्री गुप्तार सिंह जी थे। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व का यह काम होता है कि सन् 52 से लेकर आज तक वह बराबर उसी कांस्टीटुएंसी से जनता का विश्वास प्राप्त करते रहे। यह इस बात का द्योतक है कि कितने कर्मिष्ठ, त्यागी और तपस्वी कार्यकर्त्ता वह थे और जिनको अपने क्षेत्र की जनता का बहुत भारी सौहार्द, प्रेम और अनुराग प्राप्त था। हमारे नीचे ही बी० ब्लाक (दारुलशफा) में वह रहते थे और इधर 8-10 साल से हमारा भी उनसे एक बहुत अच्छा सम्पर्क रहा। जब ऐसे कार्यकर्त्ता उठते हैं जो एक जिले के ही प्रतिनिधि नहीं थे वरन् वह प्रदेश के स्तर पर काम करते थे उनके उठने से जो एक रिक्ति पैदा हुई है और उसका हम सब को दुख है और उनके साथ के जिले के जो कार्यकर्त्ता हैं वे तो आज अपने को अनाथ-सा महसूस करेंगे जब तक कि उनके पद चिन्हों पर चल कर उतना योग्य अपने को नहीं बनाते। मैं अपनी और अपने साथियों की ओर से उनकी आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संतप्त परिवार के प्रति हम अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं और आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारी यह समवेदना उनके संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करेंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, नेता विरोधी दल तथा श्री बंशीधर पांडेय ने जो विचार अभी व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री गुप्तार सिंह के सार्वजनिक जीवन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा नेता विरोधी दल ने जो बातें हमें बतायीं उनसे सिद्ध है कि वह एक लोकप्रिय तथा सफल सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे और यह तथ्य इससे प्रमाणित है जैसा कि अभी पता लगा कि आज तक बराबर निरन्तर सन् 52 से चुने जाते रहे हैं। ऐसे कार्यकर्त्ता और प्रतिनिधि जो यहां आते हैं, उनमें से देखने में और सुनने में कम आते हैं। उनके निधन से हमें बड़ा दुख है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति भी हम अपनी और अपने दल की सहानुभति प्रकट करते हैं। आप से प्रार्थना है कि हमारी सहानुभूति और समवेदना उनके संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस निधन से बहुत दुखी हैं। उनको अस्पताल में देखने का अवसर हमको भी कई बार मिला, जो विशेषता और गुण माननीय मुख्य मंत्रीजी, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने बताये वे सब उन में विद्यमान थे। वह हृदय के रोगी थे लेकिन फिर भी शिष्टाचार उनका बराबर बना रहता था। जब कभी उनके कमरे में कोई जाता था तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बावजूद इसके कि डाक्टरों की मनाही थी कि वह न उठें, लेकिन वह तुरन्त उठ कर स्वागत करने की चेष्टा करते थे चाहे उनकी तकलीफ कितनी ही हो। इसी तरह से जो जरूरत मन्द लोग उनके पास अपनी जरूरत की पूर्ति के लिये जाते थे तो उनके परिवार के जो लोग उनके साथ रहते थे, विशेषकर उनकी पुत्रवधू, उनको बराबर यह शिकायत रहती थी कि उनकी बीमारी के बावजूद लोग आते हैं और उनको अपने साथ कामों के लिये ले जाने की कोशिश करते हैं और जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बीमारी के बावजूद वह यहां अभी कल तक आते जाते रहे, वह चल फिर कर जहां तक हो सकता था मदद करते थे। बीते युग के त्याग और तपस्या के जो दिन थे और उस जमाने में परम्परायें बनी थीं निर्भीकता की, ईमानदारी की, विनम्रता की, उन में वे सब मौजूद थीं। हमें दुख है कि ऐसे साथी एक के बाद एक बराबर जा रहे हैं। नयी पीढ़ी को उनके गुणों से सीखना चाहिये, हृदयंगम करना चाहिये। उनके निधन से मैं और मेरे दल के सभी सदस्य बहुत दुखी है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि हमारी समवेदनायें उनके संतप्त परिवार को पहुंचा दें। हमारी प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले।

*श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, माननीय गुप्तार सिंह जैसे यशस्वी और तेजस्वी नेता का उठ जाना बहुत ही दुखद घटना है। श्री गुप्तार सिंह रायबरेली के जाने माने नेताओं में से थे। रायबरेली का इलाका सामन्तों और ताल्लुकेदारों का था। उनके और इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता था। इसी वजह से उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की और जनता की भावनायें हमेशा उनके साथ रहीं। आज से 2–4 दिन पहले वे हाउस में आये और एक आदमी हाथ पकड़े हुये था। जब मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि तबीयत खराब होती जा रही है और सुधार की कोई आशा नजर नहीं आती है। यह सुनकर मुझे ही नहीं बल्कि मेरे सभी साथियों को विशेष दुख पहुंचा। उनकी गम्भीरता और कार्यशैली और उनके द्वारा किए हुए कर्त्तव्यों की जितनी भी सराहना की जाय, थोड़ी है। आज नेता सदन और नेता विरोधी दल ने उनके प्रति जो समवेदना प्रकट की है मैं तथा मेरी पार्टी भी इससे अपने को सम्बद्ध करती है। मैं चाहता हूं कि हमारी और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनके संतप्त परिवार तक यह खबर आप पहुंचा देने की कृपा करें।

*श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को बताया कि माननीय गुप्तार सिंह जी इस सदन के एक सीनियर मेम्बर थे। उनकी मौत की खबर सुनकर हमें बहुत दुख पहुंचा है। मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से उनके घरवालों को यह पैगाम भेजने की कृपा करें कि हम उनके गम में बराबर शरीक हैं और हम यह भी चाहते हैं कि इस रेजोल्यूशन में हमारी पार्टी को भी शामिल कर लें। यह ऐसी घटना है कि जिससे सभी लोगों को दुख पहुंचा है। मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि उनके खानदान और दूसरे अफराद को भी हमारी तरफ से ताजियाई पैगाम भेज दें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य मान्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने आपको और निर्दलीय दल के अपने साथियों को सम्बद्ध करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम सब की समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि माननीय गुप्तार सिंह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

मौजूदा सदन के सदस्य रहे हैं अतः आज की सदन की कार्यवाही स्थगित हो जानी चाहिए। जो सरकारी कार्य है, उसमें कोई कठिनाई नहीं आयेगी। 18-19 को फिर अधिक समय बैठ लेंगे। यह उचित प्रतीत नहीं होता कि हमारे एक साथी सदा के लिए चले गये और हम आज यहां बैठ कर कार्यवाही चलाते रहें। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि इस समय कार्यवाही स्थगित हो जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रातः हमारे साथी, श्री गुप्तार सिंह के देहावसान का दुखद शोकप्रद समाचार मिला। माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और माननीय अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं और जो सद्भावना सम्बन्धी अपने विचार प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय गुप्तार सिंह हमारे पड़ोसी जिले रायबरेली के रहने वाले थे और उनकी लोक प्रियता और उनकी सादगी और उनकी सेवा भावना से हम सदैव परिचित थे और यह पूरा सदन उनकी सादगी, उनकी तपस्या और बलिदान की भावना से परिचित है। ऐसे साथी का हमसे बिछुड़ जाना असहनीय दुख का प्रकरण है। माननीय नेता सदन ने जो यह सुझाव दिया है कि दिवंगत आत्मा के संतप्त परिवार को समवेदना भेजा दी जाय मैं उसे भेज दूंगा----अब दो मिनट के लिये खड़े होकर दिवंकत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

श्री मैनेजर सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि सदन पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय और बाकी के कार्यक्रम फिर ले लिये जायं।

श्री चरण सिंह--

मैं यह अर्ज करना चाहता था कि माननीय त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि तीन बजे तक के लिये कार्यवाही स्थगित कर दी जाय उसके बजाय अगर .....

(विधान सभा की गैलरी से परचे फेंके गये और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की जयजयकार के नारे लगाये गये।)

मेरा सुझाव है कि आज सदन पूरे दिन के लिये उठ जाय और बजाय इसके कि जो 18 तारीख को मीटिंग होने वाली है वह बीस तारीख को समाप्त हो जाय। उसमें पूरा दिन बढ़ा दिया जाय। अगर मुख्य मंत्री को कठिनाई न हो तथा मेरे साथियों को भी, तो मैं समझता हूं अच्छा रहेगा और क्योंकि बहुत से लोगों ने सात बजे की गाड़ी से रिजर्वेशन करा ली है और शायद उनको कठिनाई हो। अगर पांच के बाद भी हाउस चला तो.....

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, इसमें एक दिक्कत होगी और यह मैंने अपने साथियों से पूछकर प्रस्ताव रखा था। 18, 19 और 20 को हम बैठेंगे लेकिन काम काफी है। अगर आज का काम भी उस में चला जायेगा तो काम बहुत बढ़ जायेगा। 21 को बसन्त पंचमी है और 22, 23 को शनिवार और रविवार हैं। फिर उसके बाद 26 जनवरी आ जाती है।

श्री मैनेजर सिंह---

19 तारीख को ज्यादा बैठ लेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कृपा कर के मुझे कह लेने दें। यदि नेता विरोधी दल की राय है तो हम उठ जायं। लेकिन यह तय हो जाय कि 18, 19, 20 तारीखों में एक-एक दो-दो घंटा बैठ कर काम समाप्त कर लें।

अनेक सदस्य—

वह हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम 18 तारीख के 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 33 मिनट पर मंगलवार, 18 जनवरी, 1972 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

12 जनवरी, 1972।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1241 पर)

(1) प्रश्न में उल्लिखित वर्ष 1968–69, 1969–70 तथा 1970–71 में निर्मित राजकीय नलकूपों का क्षेत्रवार ग्रामवार विवरण ।

क्रम-संख्या	विधान सभा क्षेत्र का नाम	गांव का नाम	नलकूप संख्या तथा समूह	विशेष
1	2	3	4	5
		1968–69		
1	कासगंज (351)	1 किसरोली	32 कासगंज	
		2 पचगाई	33 कासगंज	
		3 क्षावर	34 कासगंज	
		4 नरोली	37 कासगंज	
		5 बदनपुर	38 कासगंज	
		6 मिदौनी	39 कासगंज	
		7 लहरवकुला	40 कासगंज	
		8 तवालपुर मौसम पुर	42 कासगंज	
		9 विरौंची	43 कासगंज	
		10 कनटौर	20 मारहरा	
		योग	10	
	सोरों (350)	1 फाजिलपुर	35 कासगंज	
		2 गंगागढ़	36 कासगंज	
		3 रायपुर पटना	41 कासगंज	
		योग	3	
	एटा (352)	1 छातीरफीकपुर	33 एटा ग्रुप	
		2 जरथल	34 ,,	
		3 यादगारपुर	49 ,,	
		4 नगलादती	50 ,,	
		योग	4	

1	2	3	4	5
	निथौली कला (353)	1 बड़ागांव	14 एटा ग्रुप 16 एटा ग्रुप	
		कुल योग	19	
		1969–70		
	2 एटा (352)	1 हजरतपुर	29 एटा ग्रुप	
		2 सिधावली	35 ,,	
		3 सिन्या	52 ,,	
		4 बुराहनाबाद	53 ,,	
		5 जरथल	54 ,,	
		6 लोथामाडू	55 ,,	
		7 भाभई	56 ,,	
		8 भानपुर	57 ,,	
		9 मर्थरा देव किशन।	58 ,,	व 65 एटा ग्रुप
		10 नगला जगपुर	59 ,,	
		11 मर्थरा भगवानदास।	60 ,,	
		योग	12	
	निरथौली कला (353)	सोगरा	18 एटा ग्रुप	
		योग	1	
	सकीट (349)	1 जमलापुर	61 एटा ग्रुप	
		2 सौसा	62 ,,	
		3 राजपुर	63 ,,	
		4 भंथर	64 ,,	
		योग	4	
	कासगंज (351)	1 पचौरा गूजर	44 कासगंज	
		2 अमरपुर	45 कासगंज	
		योग	2	

उत्तर प्रदेश सभा

1	2	3	4	5
	अलीगंज (347)	1 अगरैया	7 अलीगंज	
		2 जैथरा	8 ,,	
		3 अलीगंज	62 ,,	
		योग	3	
		कुल योग	22	
		1970–71		
	कासगंज (351)	1 कम्भूपुर	48 कासगंज	
		2 सिरावली	47 ,,	
		3 एमनपुर	46 ,,	
		4 ताखरू	49 ,,	
		योग	4	
	सोरों (350)	1 गंगागढ़	50 कासगंज	
	एटा (352)	2 भरगावा	73 एटा ग्रुप	
		3 गाजीपुर पहौर	76 ,,	
		3 रामपुर किलर-मऊ।	78 ,,	
		योग	3	
	निरथौली कला (353)	1 रैमन्डपुर	51 एटा	
		2 पलिया	66 ,,	
		3 हौरची	67 व 68 एटा	
		4 मुखरना	69 ,,	
		5 वराई	70 व 72 एटा	
		6 झनवार	71 ,,	
		7 जिटौली	74 ,,	
		8 औरनी	75 ,,	
		योग	10	
	सक्रौल (349)	1 वृन्दावन	77 एटा	
		2 सिकन्दर पुर रिजौर	79 एटा	
		3 सलेमपुर कुवरपुर	80 एटा	
		योग	3	

1	2	3	4	5
	अलीगंज (247)	1 सरोथू	45 अलीगंज	
		2 पिचौंदा	61 ,,	
		3 जसरथपुर	46 ,,	
		4 ललैहट	48 ,,	
		5 राया	47 ,,	
		योग	5	
		कुल योग	26	

(2) प्रश्न में उल्लिखित वर्ष 1971–72 में 25 नलकूपों के लगाये जाने का विवरण

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	राजकीय नलकूप संख्या तथा समूह	नाम ग्राम
(क) 24 नलकूप जिनकी बोरिंग हो चुकी है:			
1	अलीगंज ..	.. 49 अलीगंज	लालपुर
2	,, ..	.. 51 ,,	कटिगरा
3	,, ..	.. 53 ,,	रुपनी
4	,, ..	.. 55 ,,	बरौलिया
5	,, ..	.. 56 ,,	वाजीदपुर
6	परियाली ..	.. 57 ,,	ताजपुर तिगरा
7	,, ..	.. 58 ,,	बल्लूपुर
8	,, ..	.. 63 ,,	भेदपुर
9	सर्कीट ..	.. 81 एटा	बाकराबाद
10	,, ..	.. 82 ,,	कुरीन दौलतपुर
11	,, ..	.. 83 ,,	पीपल खेड़िया
12	,, ..	.. 84 ,,	वाहिद बीबीपुर
13	,, ..	.. 85 ,,	सराय मुबारिकपुर
14	,, ..	.. 86 ,,	अक्सपुर
15	जलेसर ..	.. 7 जलेसर	रसीदपुर
16	,, ..	.. 8 ,,	साधानवीपुर
17	,, ..	.. 9 ,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	राजकीय नलकूप संख्या तथा समूह	नाम ग्राम
18	जलेसर ..	.. 10 जलेसर	अकबरपुरसाथा
19	,, ..	.. 11 ,,	हबीबुल्लापुर
20	निधौली कला ..	.. 12 ,,	खटौटा
21	,, ..	.. 13 ,,	हिनोना
22	कासगंज ..	.. 51 कासगंज	भैंसोरा बुजुर्ग
23	कासगंज ..	.. 53 कासगंज	कुम्हरौआ
24	सौरों ..	.. 52 कासगंज	गंगगढ़

(ख) शेष एक नलकूप जिसकी बोरिंग होना बाकी है —

25—इस नलकूप के निर्माण के लिये स्थान के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1243 पर)

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	नदी का नाम जिस पर पुल है	कार्य कब सा० नि० वि० को दिया गया	विभागीय सेतु निर्माण इकाई फैजाबाद द्वारा धन का व्यय रु० में	प्रतिशत कार्य	प्रान्तीय खंड विभाग गोंडा द्वारा धन का व्यय रु० में	प्रतिशत कार्य	कुल व्यय 30-11-71 तक रु० में	कार्य में हुये विलम्ब का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चौधरीडीह मार्ग।	बढ़नी सिरिया नाला।	3-10-63	2,41,533.63	15	1,39,378.02	10%	3,80,911.65	ठेकेदार कार्य छोड़ कर भाग गया है छः माह से कार्य रुका है।
2	,,	वह दिनवा नाला	3-10-63	—	—	9,889.95	—	9,889.95	प्राविधिक स्वीकृति के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं जिनके निराकरण के लिए अधीक्षण अभियन्ता से स्वीकृति मांगी है। निवादा विचाराधीन है।
3	,,	कुठेरनाला 1	3-10-63	—	—	2,19,333.19	90%	2,19,333.19	—
4	,,	,, 2							
5	,,	,, 3							
6	,,	सिपहिया नाला							
7	,,	सहिदिनवा नाला							
8	,,	भुलवानाला							

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	चौधरीडीह बढ़नी मार्ग।	नकटी नाला	10-10-63	2,15,388.51	20%	48,123.91	17%	2,63,512.42	ठेकेदार ने जनवरी 1971 के बाद कोई कार्य नहीं किया है और न कार्य करने की आशा है।
10	,,	धोबहा नाला	10-10-63	—	—	2,00,563.96	90%	2,00,563.96	—
11	,,	हड़हानाला							
12	,,	असांनाला							
13	,,	ककरहवा नाला	3-10-63	—	—	—	100%	5,68,413.28	—
14	,,	धोबनिया नाला	,,	—	—	—	95%	19,12,297.55	—
15	,,	जमधरा नाला	,,	—	—	—	36%	6,56,307.58	—
16	,,	कत्था नाला	10-10-63	—	—	—	99.5%	5,14,171.18	—
17	,,	कबाई नाला	,,	—	—	—	—	—	—
18	,,	बरुनी नाला	,,	—	—	—	99%	5,59,897.49	—
19	,,	भाभर नाला	,,	—	—	—	28%	4,06,362.45	गत वर्ष अप्रैल 1971 स ही वर्षा शीघ्र हो जाने तथा इस कारण लम्बे वर्षा काल द्वारा कार्य में पड़ी बाधा को ध्यान में रखते हुय कार्य प्रगति ठीक नहीं रही।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20 ,,	दुधिया नाला	,,	—	—	—	87%	5,24,918.99	—
21	मनोरमा नाला न० 1 सेतु	,,	—	—	—	16%	1,31,969.35	वर्षा के कारण प्रगति धीमी रही
22 ,,	मनोरमा नाला नं० 2 सेतु।	,,	—	—	—	—	1705.00	तदैव
23 ,,	,, नं० 3 सेतु।	,,	—	—	—	76%	4,01,386.42	—
24 ,,	चरगहवा नाला	—	—	—	—	—	—	आगणन बनाना है।
25	धनवापुर से जरवा मार्ग।	सिरइया नाला	31-8-62	2,94,130.54	40%	50,535.76	6%	3,44,666.30	मुख्य अभियन्ता प्राविधिक द्वारा कार्य की विस्तृत आगणन की स्वीकृति सितम्बर 1967 में दी गई थी।
26 ,,	धोबहा नाला		21-12-64	2,09,917.18	32%	1,60,851.48	17%	3,70,768.66	आगणन की प्राविधिक स्वीकृति नवम्बर 67 में दी गई।
27 ,,	नकटी नाला		2-1-67	3,49,435.66	60%	1,50,342.26	20%	4,99,777.92	—
28 ,,	कवाई नाला		10-6-67	—	—	—	100%	4,86,142.01	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1248 पर)

जिला इलाहाबाद में वर्ष १९७१–७२ में स्वीकृत सड़कों की सूची

	लम्बाई किलोमीटर में
1—गोहना-धौरी-कैथवाल वाया लालपुरवा सड़क	4.00
2—धरपुर से प्रतापपुर मार्ग	4.00
3—जी० टी० रोड से इमामगंज-आलमचन्द मार्ग	6.00
4—मन्सूराबाद से आनापुर मार्ग इन्टरमीडियेट कालेज तक	4.00
5—फूलपुर-सैदाबाद मार्ग का भाग	8.00
6—सिरसा से मर्रौ व जगदीशपुर तक मार्ग	7.00
7—कोरदार से मेजा मार्ग	13.00
8—मऊ झंदहन मार्ग (इलाहाबाद व बांदा जिले में भी)	8.00

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1249 पर)

बलिया जिले में गायघाट के सामने गंगा का कटान रोकने के संबंध में वर्ष १९७१ में होने वाले व्यय का विवरण

	(रुपयों में)
1—कार्यों एवं निर्माण पर व्यय (मजदूरी)	
(अ) क्रेट की जाली बुनाई, क्रेट बनाई, झांवा, ईट पत्थर भराई तथा क्रेटों का डालना	63,490.00
(ब) सीमेन्ट की खाली बोरियों में मिट्टी रोड़ा झांवा ईंट तथा गिट्टी भरना यथा स्थान पर लगाना	11,193.00
(स) शैक बनाने, स्लोप काटने एवं बांध की मरम्मत में मिट्टी के कार्य	5,896.00
(द) टूटेहुये क्रेटों की मरम्मत	1,067.00
(य) क्रेटों के बीच छोटे रिक्त स्थानों को झांवा अथवा पत्थर भर कर जाली चढ़ाना	904.00
(र) कार्य प्रभारित कर्मचारी	15,266.00
(ल) विद्युत व्यवस्था (बिजली के बिल का भुगतान) ..	8,550.00
	1,06,366.00
2—वस्तुओं की आपूर्ति पर व्यय	
(1) झांवा	5,03,382.00
(2) ईट	1,18,405.00
(3) तार एवं कांटी	7,19,493.00
(4) बांस	66,865.00
(5) खाली सीमेन्ट की बोरी	72,088.00
(6) गिट्टी	14,063.00
	14,94,296.00
कुल व्यय ..	16,00,662.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1260 पर)

विगत तीन वित्तीय वर्षों में अप्रैल, 1968 से मार्च, 1971 तक गोंडा जिले की सड़कों एवं पुलों का विवरण जिन पर कार्य किया गया है ।

सड़कों का विवरण

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई	बने हुए मार्ग की लम्बाई मार्च 71 तक
1	हरिहरगंज ललिया मार्ग ..	9.6 कि० मी०	7.3 कि० मी० पेन्टेड
2	मनकापुर सहदुल्ला नगर मार्ग ..	16.7 कि० मी०	12.8 कि० मी० पेन्टेड
3	तुलसीपुर हरैया चौधरी डीह (बन कटवालिक रोड होकर) मार्ग निर्माण ।	36.4 कि० मी०	26.4 कि० मी० पेन्टेड
4	तुलसीपुर पचपेड़वा बढ़नी मार्ग ..	38.8 कि० मी०	30.2 कि० मी० पेन्टेड
5	बेलसर उमरी बेगमगंज मार्ग ..	9.166 कि० मी०	3.2 कि० मी० केवल टाप कोट की कुटाई ।
6	तुलसीपुर पचपेड़वा बढ़नी मार्ग पर गैसड़ी, पचपेड़वा तथा बढ़नी फीडर मार्ग ।	3.327 कि० मी०	1.8 कि० मी० पेन्टेड

पुलों की सूची

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	पुल की स्थिति
1	तुलसीपुर हरैया चौधरी डीह मार्ग पर छः छोटे छोटे पुल ।	1—कठोर नाला नं० 1 2—कठोर नाला नं० 2 3—कठोर नाला नं० 3 4—सिपाहिया नाला 5—सहदिनवा नाला 6—भलुवा नाला
2	तुलसीपुर पचपेड़वा बढ़नीमार्ग पर 3 पुलों का निर्माण ।	1—धोबहा नाला 2—हड़हा नाला 3—अर्रा नाला
3	तुलसीपुर हरैया चौधरीडीह मार्ग पर 1 पुल का निर्माण ।	1—सिरिया नाला मील 2
4	बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग पर 1 पुल का निर्माण ।	1—सिरिया नाला मील 15

1	2	3
5	तुलसीपुर पचपेड़वा बढ़नी मार्ग पर 1 पुल का निर्माण।	1—नकटी नाला मील 1
6	तुलसीपुर कोयला बासा मार्ग पर 1 पुल का निर्माण।	1—नकटी नाला मील 2
7	बलरामपुर तुलसीपुर कोयला बासा मार्ग पर 1 पुल का निर्माण।	1—धोबहा नाला मील 8
8	बनकटवा लिंक मार्ग पर 1 पुल का निर्माण।	1—संगरा नाला मील 20
9	तुलसीपुर हरैया चौधरीडीह मार्ग पर 1 पुल का निर्माण।	1—बहदनवा नाला मील 20
10	मनकापुर सादुल्ला नगर मार्ग	बिसुही नदी मील 7

Departmental construction Unit फैजाबाद द्वारा जिला गोंडा में बनाय गये पुल:—

1	तुलसीपुर हरैया चौधरी डीह मार्ग ..	1—करकरहवा नाला सेतु मील 9 2—घोबिनवा नाला सेतु मील 14 3—जगधरा नाला सेतु मील 16
2	तुलसीपुर पचपेड़वा बढ़नी मार्ग ..	4—कत्था नाला सेतु मील 5 5—कबही नाला सेतु मील 7 6—बढ़नी नाला सेतु मील 10 7—भमर नाला सेतु मील 11 8—दुधिया नाला सेतु मील 12 9—बनोरमा नाला नं० 1 सतु मील 20 10—बनोरमा नाला न० 2 सेतु मील 20 11—बनोरमा नाला सेतु मील 20 12—चरगहवा नाला सेतु मील 22
3	तुलसी कोयला बासा मार्ग	13—कबही नाला सेतु मील 1

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1260 पर)

अलीगढ़ जनपद के विधान सभाई क्षेत्रों में वर्ष 1971-72 में लगाये जाने वाले नलकूपों का विवरण ।

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र का नाम	ग्रामों नाम
1	खैर	बझेड़ा
2	"	भरतपुर
3	"	निगुना-सिगुना
4	"	खेड़ा किशन
5	जवां चन्डोस	जमालपुर सिया
6	"	हैबतपुर-सिया
7	कोल सुरक्षित	इमामी] बी० एल० फार्म
8	"	मई } भेज दिया गया
9	"	इमलानी]
10	इगलास	गुरसैना
11	इगलास	जयथौली
12	सासनी (सुरक्षित)	सलेमपुर
13	"	"
14	हाथरस	ताजपुर
15	"	पटैनी
16	गंगोरी	कनोबी
17	"	सुनहरा
18	सिकन्दराराऊ	बरतरखास
19	"	"
20	"	"

राम लखन,
सिंचाई मंत्री ।

संसदीय अध्ययन केन्द्र

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1261 पर)

जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु संस्तुत किये गये पुलों की सूची ।

क्रम-संख्या	पुलों की स्थिति	नाम विकास क्षेत्र
1	नयार नदी पर सुनारगांव के पास	थलीसैंण
2	चोलीसैंण के पास	पावों
3	शिवानन्दी के निकट स्थान पावों में	खिसू
4	थनुलगंड़ पर अलासू के पास	कल्जीखाल
5	बिन्दल्या के पास	पौड़ी
6	रछुली के पास	,,
7	सिरवाणी के पास	कोट
8	देवप्रयाग में गंगा अथवा अलकनन्दा पर	कोट
9	धोबी घाट मवालस्यूं के पास	एकेश्वर
10	नयार नदी पर संगलाकोटी में	,,
11	सनेऊ नदी पर	पोखड़ा
12	नयार नदी पर डऊ में	बीरोंखाल
13	रसिया महादेव के पास	,,
14	उटेडाण्डा चुरानी सड़क पर धोडौगाड़ में	रिखणीखाल
15	मन्दाल नदी पर धामधार में	,,
16	कलेड़ा नदी पर नलई गांव के पास	,,
17	काली नदी पर चिलाऊ में	सैनीडांडा
18	काली नदी पर पटोटिया में	,,
19	मैंदी नदी पर कगूली में	लैन्सडौन
20	मरणखेत में	दुगड्डा
21	धराट नदी सीला में	,,
22	त्रिवेणी में ह्विल नदी पर	ढांगू
23	कटघर के पास ह्विल नदी पर	,,
24	कणवश्रम में	दुगड्डा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 262 एल० ए०—1972—845,